स0स0–9/आ0–2–27/2012

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

चूँकि बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि **डा0 राजेश्वर शर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मैसकौर, नवादा** अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोप में वर्णित घोर कदाचार, अवज्ञा एवं सरकार के आदेश के उल्लघंन के दोषी हैं। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि:–

उक्त **डा0 शर्मा** के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय।

डा0 शर्मा असैनिक सहायक शल्य चिकित्सक को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष के अन्दर अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है । विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए **डा0 नागेश्वर प्रसाद, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना** को संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थापन पदाधिकारी, **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–9** नियुक्त किया जाता है ।

डा0 राजेश्वर शर्मा को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वयं सुनवाई के लिए उपस्थित होने और अपनी ओर से साक्ष्यों की परीक्षा कराने के लिए इच्छुक हैं।

आरोप पत्र (अनुबंध) एवं साक्ष्य इसके साथ हीं निर्गत किया जा रहा है ।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि अनुबंध की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ह0) 03.8.15

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : / स्वा0, पटना, दिनांक :

प्रतिलिपिः साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी, डा0 नागेश्वर प्रसाद, **संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना** को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जांच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

(ह0) 03.8.15

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : / स्वा0, पटना, दिनांक :

प्रतिलिपिः साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–9** को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह0) 03.8.15

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 764 (9) / स्वा0, पटना, दिनांक : 24/8/2015

प्रतिलिपिः साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति **डा0 राजेश्वर शर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मैसकौर, नवादा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2,3,5,7,8,9,10 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(ह0) 03.8.15

सरकार के अवर सचिव।

E/Sankalp folder 2013